



झारखण्ड सरकार

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, धनबाद

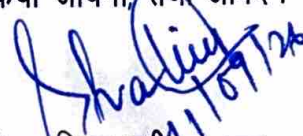
(लुबी सर्कुलर रोड, मिश्रित भवन, भूतल)

Email :- dse.dhanbad1@gmail.com

आवश्यक-सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) C के अंतर्गत जिले के सभी कोटि के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रवेश कक्षा की कुल सामर्थ्य संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी जाँच के क्रम में जिन आवेदनों में दस्तावेजों में कमी के कारण प्रथम चयनित सूची में चयन नहीं हुआ वैसे सभी आवेदक वांछित दस्तावेज के साथ आवेदन कार्यालय-जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी, धनबाद में दिनांक-18.09.26 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा, तथा आवेदन स्वतः रद्द मान लिया जायेगा।


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
नोडल पदाधिकारी, (RTE CELL)
धनबाद